जेपी अस्पताल बना एमआरआई...

सेवा प्रदान करने वाला प्रदेश का पहला जिला चिकित्सालय

भोपाल(काप्र)।

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त करने के लिये तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि नागरिकों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उनके ही जिले में उपलब्ध कराई जाएं।

इसके लिए स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत किया जा रहा है और आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। नागरिकों को उन्नत, सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री शुक्ल ने जिला चिकित्सालय (जेपी हॉस्पिटल) में एमआरआई जांच सेवा केंद्र का लोकार्पण किया। एमआरआई सेवा प्रदान करने वाला जेपी हॉस्पिटल प्रदेश का पहला जिला चिकित्सालय बन गया है। श्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त और विस्तारित करने के लिए सरकार सतत प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि एमआरआई जांच सेवा उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में भी शीघ्र शुरू की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सेवा सीजीएचएस दर से 30 प्रतिशत कम शुल्क पर नागरिकों को उपलब्ध होगी। साथ ही, आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत हितग्राहियों के लिए यह सेवा निःशुल्क रहेगी। उन्होंने कहा कि जेपी हॉस्पिटल में मार्च 2025 तक कैथ लैब और हृदय उपचार संबंधी सुविधाओं का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। यहां कैथ लैब और सीटीवीएस सेवाओं के माध्यम से एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, हार्ट ट्रांसप्लांट और बाईपास सर्जरी जैसी उन्नत सेवाएँ उपलब्ध होंगी। इसके तहत 100 बिस्तरों की हृदय उपचार यूनिट स्थापित की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में देरी न हो और सभी सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए।

राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने विचार व्यक्त किए। विधायक भगवानदास सबनानी, महापौर श्रीमती मालती राय, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभाकर तिवारी, सिविल सर्जन डॉ. राकेश श्रीवास्तव उपस्थित रहे। राजधानी में एमआरआई केंद्र 10 करोड़ 50 लाख की लागत से स्थापित किया गया है, जिसमें भवन निर्माण, उपकरण और तकनीकी उन्नयन शामिल हैं। इसमें 1.5 टेस्ला 580 मशीन लगाई गई है, जो हाल ही में लॉन्च उन्नत तकनीक से लैस है। यह तेज, सटीक स्कैनिंग, उन्नत इमेजिंग और ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करती है। केंद्र में प्रतिदिन 80 मरीजों की स्कैनिंग क्षमता है, न्यूनतम प्रतीक्षा समय और सटीक रिपोर्टिंग के साथ गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करता है।

सीजीएचएस से 30 प्रतिशत से कम दर में मिलेगी सेवा

मरीजों को उन्नत एमआरआई सुविधाएं सीजीएचएस दरों से 30 प्रतिशत तक कम शुल्क पर उपलब्ध कराई जाएंगी। आयुष्मान भारत योजना के हितग्राहियों को यह सुविधा पूरी तरह निःशुल्क प्रदान की जाएगी। एमआरआई पेट (प्लेन) (सीजीएचएस दर रू. 2125) यहां रू. 1423 में उपलब्ध है। एमआरआई ब्रेन (प्लेन) (सीजीएचएस दर रू. 1998) रू. 1338 में, एमआरआई कंधा (प्लेन) (सीजीएचएस दर रू. 2000) रू. 1339 में और एमआरआई घुटना (कॉन्ट्रास्ट) (सीजीएचएस दर रू. 4500) केवल रू. 3014 में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अस्पताल में एमआरआई एंजियोग्राफी (कॉन्ट्रास्ट) (सीजीएचएस दर रू. 4950) की दर रू. 3315 रखी गई है। वहीं, गंभीर बीमारियों के निदान के लिए संपूर्ण शरीर की एमआरआई (ऑन्कोलॉजिकल वर्कअप) (सीजीएचएस दर रू. 5100) रू. 3415 में उपलब्ध होगी। एमआरआई पीठ (लम्बर स्पाइन) जैसी सेवाएं भी (सीजीएचएस दर रू. 2125) रू. 1423 में उपलब्ध कराई जा रही हैं।

राजधानी के लाल परेड मैदान पर गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां करते जवान।

स्पॉट फाईन की कार्यवाही सख्ती से करें: हरेंद्र

भोपाल(काप्र)। निगम आयुक्त हरेन्द्र नारायन ने स्वच्छ सर्वेक्षण के मापदण्डों अनुसार साफ-सफाई व्यवस्था को और अधिक बेहतर ढंग से सुनिश्चित कराने के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर समक्ष में एवं वी.सी.के माध्यम से निर्देशित किया कि शहर में कचरा एवं मलमा फेककर गंदगी फैलाने वालों पर सख्ती से स्पॉट फाईन की कार्यवाही सुनिश्चित करें। निगम आयुक्त नारायन ने ग्रीन एरिया से कचरा निकलवाकर, साईड वर्ज, सेंट्रल वर्ज एवं डिवाइडर से मिट्टी आदि हटाकर बेहतर साफ-सफाई कराने तथा वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त नारायन ने निर्देशित किया कि कचरा पृथक्कीकरण का कार्य शत-प्रतिशत सुनिश्चित करें।

श्री नारायन ने बुधवार को स्वच्छ सर्वेक्षण के मापदण्डों अनुसार साफ-सफाई व्यवस्था को और अधिक बेहतर ढंग से सुनिश्चित कराने के लिए, लिंक रोड नंबर 02, माता मंदिर, आराधना नगर, शासकीय आवास कोटरा, पी.एण्ड.टी, नेहरू नगर मार्ग, भदभदा, नीलबड़ मार्ग, केरवा मार्ग तथा सूरज नगर आदि क्षेत्रों का निरीक्षण किया और समक्ष में एवं वी.सी.के माध्यम से साफ-सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त नारायन ने द्वितीय पाली में पिकिंग कराने तथा ऐसे स्थलों का वार्ड नोडल अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। निगम आयुक्त नारायन ने लिंक रोड नंबर 3, पीएंडटी, नेहरू नगर मार्ग, भदभदा, सूरज नगर मार्ग की साफ-सफाई कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने भदभदा बांध का भी निरीक्षण किया और बड़े तालाब का जलस्तर एवं ग्रीष्म ऋतु तक जलप्रदाय की जानकारी प्राप्त की अन्य जल स्त्रोतों से जलप्रदाय के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

खुदाई में मिला सोना बेचने का झांसा देकर किसान से साढ़े चार लाख की ठगी

भोपाल(काप्र)।

खुदाई में मिला सोना बेचने का झांसा देकर शातिर जालासाजो ने एक किसान को अपने जाल में फंसाकर उसे साढ़े चार लाख रुपए की चपत लगा दी। ठगो ने किसान को पहले असली सोने के मोती दिये, इसके बाद नकली थमाए और रकम लेकर चंपत हो गए।

घटना पुराने शहर के शाहजहांनाबाद इलाके की है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जॉच के बाद अज्ञात के खिलाफ मामला कायम कर लिया है। थाना पुलिस के अनुसार फरियादी रामभजन मालवीय पिता स्वर्गीय ख्यालीराम मालवीय (62) ने बताया कि वह सीहोर जिले के रहने वाले है, और खेती-किसानी करते हैं। करीब दो महीने पहले निजी काम के चलते बस से भोपाल आ रहे थे। बस में सफर के दौरान ही एक अनजान व्यक्ति से उनकी जान-पहचान हुई थी। उस व्यक्ति ने बातचीलत करते हुए उन्हे बताया कि राजस्थान में उसकी मां को जमीन में खुदाई करते वक्त सोना मिला है, उस सोने को बेचने के लिए ही वह भोपाल जा रहा है। आरोपी ने रामभजन मालवीय को भी दो सोने की मोती देते हुए कहा कि वह भी इसे चैक करा लें और यदि वह बिकवाने में उसकी मदद करेगा तो उसे भी फायदा हो जायेगा। उसके झांसे में आकर रामभजन ने ठग द्वारा दी गई मोती को बैरागढ़में स्थित एक ज्वैलर्स के यहॉ चेक कराया तो वह असली सोने के निकले। इसके बाद रामभजन ने सीहोर में दोबारा चेक कराया और असली होने पर उन्होंने मोती देने वाले जालसाज से सपंर्क कर सोना खरीदने की बात कही।

इसके बाद ठग ने उन्हें 30 दिसंबर, 2024 को शाहजहांनाबाद इलाके में स्थित एलबीएस अस्पताल के पास बुलाया। रामभजन मालवीय यहॉ अपनी पत्नी और अन्य साथियों के साथ साढ़े चार लाख रूपए लेकर पहुंचे। आरोपी ने उन्हें सोना देकर रकम ऐंठ ली। बाद में जब रामभजन ने सोने को चेक कराया तो वह नकली निकला। इसके बाद पुलिस के पास पहुंचे। आवेदन की जांच के बाद पुलिस ने फिलहाल अज्ञात के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज कर लिया। बताया गया है की जॉच के दौरान सीसीटीवी कैमरे खंगालने पर पुलिस को आरोपी के संबंध में अहम सुराग हाथ लगे है, जिसके आधार पर पुलिस जल्द ही ठग को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है।

इलाके में ही घूम रहे जिला बदर बदमाश को पुलिस ने दबोचा

भोपाल(काप्र)। थाना अरेरा हिल्स पुलिस टीम ने जिला बदर किये गये बदमाश को उसके घर से ही गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इलाके में स्थित पास भीम नगर झुग्गी बस्ती मे रहने वाले आकाश चौधरी उर्फ अक्कू पिता रामलाल (23) आदतन अपराधी है। उसका अपराधिक रिकार्ड देखते हुए पुलिस आयुक्त द्वारा 5 नबंबर 2024 को दिये गये जिला बदर के आदेश में उसे हर महीने की 15 तारीख को थाना अरेरा हिल्स मे उपस्थित होकर हाजरी देने की ताकीद की गई थी। आदेश में कहा गया था कि यदि वह तय दिन थाना पुलिस को अपनी उपस्थिति देने मे चूक करता है, तो उसके खिलाफ म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। आदेश के बाद भी आरोपी आकाश उर्फ अक्कू चौधरी 15 दिसंबर 2024 को हाजरी देने के लिये थाना अरेरा हिल्स मे हाजिर नहीं हुआ। थाना पुलिस ने उसके खिलाफ जिला बदर आदेश का उल्लघंन किये जाने पर 9 जनवरी को मामला दर्ज किया था।

राजधानी में बुधवार को भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक आरिफ मसूद ने संविधान बचाओ पदयात्रा निकाली।

बीबीए छात्रा के सीने के आर-पार हुआ विदेशी एयरगन का छर्रा

भोपाल(काप्र)। राजधानी के बैरसिया थाना क्षेत्र में छत पर सूखने के लिये डाले गये कपड़े लेने गई बीबीए थर्ड ईयर की छात्रा के शरीर से विदेशी एयरगन का छर्रा आर-पार हो गया। छात्रा के पड़ोस में रहने वाले युवक ने कबूतर को मारने के लिये एयरगन से फायर किया था, लेकिन निशाना चूका और छर्रा छात्रा को जा लगा। बाद में उसे परिवार वालों ने बेहद गंभीर हालत में इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहॉ ऑपरेशन के बाद उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार बैरसिया के ग्राम भैरवपुरा में रहने वाली आबिदा (23) बीबीए थर्ड ईयर की छात्रा है, परिवार में वह दो बहनों में दूसरे नंबर की है। उसके पिता व्यवसायी हैं, बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। सोमवार शाम करीब 5.30 बजे छात्रा छत पर सूखने के लिए डाले गए कपड़े उतारने गई थी। कपड़े लेकर नीचे आते समय कुछ आवाज आने पर वह पीछे मुड़ी उसी समय एक गोली उसके सीने से टकराई और पीठ से निकलते हुए आर-पार हो गई। इससे पहले कुछ समझ पाती उसके शरीर से तेजी से खून बहने लगा और वह नीचे गिर पड़ी। जमीन पर गिरी अदीबा ने उठने की कोशिश की लेकिन वह उठ नहीं पा रही थी। लहूलुहान हालत में जैसे-तैसे वह घसीटते हुए छत से नीचे जाने वाली सीढ़ियों तक पहुंची और परिवार वालो को आवाज लगाई। उसके पास पहुंचे परिजन शरीर से खून निकलता देख घबरा गये और फौरन ही उसे इलाज के लिये निजी हॉस्पिटल लेकर भागे। एयरगन से लगे छर्रे के बाद मंगलवार को अदीबा का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद अदीबा की हालत बेहतर बताई जा रही है।

नाम परिवर्तन सूचना

मेरा नाम चेतस देसाई है। पूर्व में मेरा नाम चेतस जतिन भाई देसाई प्रचलन में था। इस नाम का प्रयोग और उपयोग करना मैनें पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। आम लोगों को सूचित किया जाता है, कि भविष्य में मुझे चेतस देसाई के नाम से जाना जायें। यह सूचना पारिवारिक, सरकारी, अर्धसरकारी और निजी संस्थानों को मेरी पहचान के रूप में प्रकाशित की जा रही है।

नाम परिवर्तन सूचना

मेरा पूर्व में नाम शीला मोईन (SHEELA MOIN) था जो कि मेरे पासपोर्ट पर दर्ज है अब वर्तमान दस्तावेजों में मेरा सही नाम शेहला मोईन (SHEHLA MOIN) पत्नी शाहिद अली खान (SHAHID ALI KHAN) निवासी म.नं.400 खानूगांव, हमीदुल्लाह नगर भोपाल (मध्य प्रदेश) हो गया है अब मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाए। 3233

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

क्रमांक 7818/राजस्व/भोविप्रा/245
भोपाल, दिनांक 03/01/2025

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि प्राधिकरण की आशियाना कॉम्पलेक्स कोहेफिजा योजना में स्थित एम.आई.जी. प्रकोष्ठ क्र.-09, वर्तमान में श्री धनधारी मेहतो आत्मज स्व. श्री गोकला मेहतो के नाम पर अंकित है। आवंटी श्री धनधारी मेहतो का स्वर्गवास दिनांक 07/05/2023 को हो जाने के कारण आवंटी की पत्नि श्रीमती राधा मेहतो एवं आवंटी की पुत्री श्रीमती अनुराधा मेहतो ने आवेदन पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न कर उक्त प्रकोष्ठ को संयुक्त नाम पर नामांतरण चाहॉ गया है। यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 7 दिवस के अन्दर लिखित एक साक्ष्य/दस्तावेजों के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति/दावा प्रस्तुत करें। उक्त समयावधि के पश्चात कोई भी दावा/आपत्ति स्वीकार नही क जावेगी एवं प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

3227 **राजस्व अधिकारी**
भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

In The Court Of XII Additional District Judge District Court, Bhopal

Presiding Officer: जयंत शर्मा
(आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम सक्सेशन प्रकरण क्र.
(MJC SUC/0000236/2024)
चैतन्य शर्मा............आवेदक **VS**
सर्वसाधारण ....अनावेदक
Process ID/2025 **पेशी दि.: 19/02/2025**

प्रेषिती-1. सर्वसाधारण पता सर्वसाधारण (2) आम जनता। आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक चैतन्य शर्मा पता ने श्री बाबूलाल शर्मा निवासी 1/315 **एन.एफ. हेवन्स** दानिश कुंज कोलार रोड भोपाल SBI मे संयुक्त खाता क्र.10020010249 का लॉकर क्रं. 1/12 के संबंध में राशि/संपत्ति हेतु उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये इस न्यायालय में आवेदन किया जिसकी सुनवाई दिनांक 19 February 2025 को नियत है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 19 February 2025 को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहें। सूचना उपरांत, यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवाई एकपक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। यह आज तारीख 19 January 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है। **कृपया ध्यान दे**: यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जाएगा।

3228 **जयंत शर्मा, न्यायाधीश**
बारहवें जिला न्यायाधीश जिला भोपाल (म.प्र.)

कार्यालय : रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अलकापुरी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, जिला-भोपाल

(पंजीयन क्रमांक/डी.आर.बी./157 दिनांक 12.09.1979)
क्रमांक/निर्वा.अधि./2025/03
दिनांक :15.01.2025

सूचना

संस्था के समस्त सम्माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था के संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन विशेष साधारण सम्मेलन में सम्पन्न होना है । अतः संस्था की सदस्यता सूची का प्रकाशन संस्था के नोटिस बोर्ड, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक,पुराना सचिवालय, भोपाल, विकासखण्ड फंदा एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा शक्ति नगर,, भोपाल के सूचना पटल पर दिनांक 15/01/2025 को किया गया है। यदि किसी भी सदस्य को इस पर कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो दिनांक 15/01/2025 से 22/01/2025 तक कार्यालयीन दिवस में मुझे कार्यालय- उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में सप्रमाण लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं तथा प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निराकरण कार्यालय- उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में दिनांक 23/01/2025 को दोपहर 12. 00 बजे से किया जायेगा। सूचना संस्था के समस्त सदस्यों को स्पीड पोस्ट / साधारण डाक द्वारा पृथक से प्रेषित की गई है।

3226 **सपना गृहा**
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
अलकापुरी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

कार्यालय सम्पदा अधिकारी म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-2, अयोध्या नगर, भोपाल

आम सूचना

ऐशबाग हाऊसिंग बोर्ड कालोनी भोपाल भूखण्ड / भवन क. 233 - ए मण्डल द्वारा श्री सी.एस. चौहान आत्मज श्री जी.एल. चौहान के नाम पर हस्तान्तरण आदेश क. 207-212 दिनांक 02/01/2017 को हस्तान्तरित किया गया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 15/11/2010 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। आवंटी द्वारा लीज नवीनीकरण दिनांक 02/03/2017 को उप पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत करवा ली गई है। श्री सी.एस. चौहान आत्मज श्री जी.एल. चौहान द्वारा भवन का विक्रय विलेख दिनांक 24/12/2019 को उप पंजीयक कार्यालय से निष्पादित कराकर 1) श्री प्रवीण समैया आत्मज श्री प्रकाश चंद्र समैया 2) श्री अनिक जैन नावालिक द्वारा पिता संरक्षक श्री प्रवीण समैया एवं 3) श्रीमती मीना जैन पत्नी श्री प्रशांत जैन को विक्रय कर दिया गया। भवन के हस्तान्तरण हेतु विक्रेता एवं केता द्वारा हस्तान्तरण का आवेदन दिनांक 23/02/2022 को प्रस्तुत किया था जिसके परिपेक्ष्य में आपत्ति आमंत्रण की आम सूचना समाचार पत्र नईदुनिया में दिनांक 19/10/2022 को प्रकाशित हुई थी, परन्तु 1) श्री प्रवीण समैया 2) श्री अनिक जैन (नावालिक) 3)श्रीमती मीना जैन द्वारा मण्डल नियमानुसार हस्तान्तरण शुल्क जमा नही कराये जाने के कारण हस्तान्तरण आवेदन निरस्त किया गया है। उक्त संपत्ति के क्रेता द्वारा हस्तान्तरण हेतु पुनः दिनांक 30/12/2024 को ऑन-लाईन आवेदन पत्र शपथ-पत्र (स्वयं का) एवं मण्डल प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करते हुए विक्रय विलेख दिनांक 24/12/2019 के आधार पर भवन अपने संयुक्त नाम हस्तान्तरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है, साथ यह भी शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि श्री सी.एस. चौहान आत्मज श्री जी.एल. चौहान एवं उनके परिवार का वर्तमान में कही पता नही चल रहा है। भविष्य में किसी भी वाद-1 द-विवाद हेतु वह स्वयं जिम्मेदार होगें प्रस्तुत दस्तावेजों एवं विकस विलेख दिनांक 24/12/2019 के आधार पर उक्त संपत्ति 1) श्री प्रवीण समैया आत्मज श्री प्रकाश चंद्र समैया 2) श्री अनिक जैन नाबालिक द्वारा पिता संरक्षक श्री प्रवीण समैया जैन पत्नी श्री प्रशांत जैन के संयुक्त नाम पर हस्तान्तरण का प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। उक्त संपत्ति के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी / या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नही की जायेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

3232 **सम्पदा अधिकारी**
म.प्र. गृह नि. एवं अघो. वि. म. प्रक्षेत्र-2 भोपाल

कार्यालय सम्पदा अधिकारी म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-2, अयोध्या नगर, भोपाल

आम सूचना

ओल्ड सुभाष नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भोपाल में प्रकोष्ठ भवन क्रमांक जूनि. एल. आई. जी. 35/20 (प्रथम तल) मण्डल द्वारा श्री बालकृष्ण इन्दानी आत्मज श्री जगननाथ इन्दानी के नाम पर भाड़ाक्रय खरीद करार के आधार पर आवंटन आदेश क. 6032-6035 दिनांक 6/05/ 1985 को आवंटित किया गया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 16/08/2000 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। श्री बालकृष्ण इन्दानी आत्मज श्री जगननाथ इन्दानी के द्वारा भवन का विक्रय विलेख दिनांक 12/05/2008 को उप पंजीयक कार्यालय से निष्पादित कराकर श्री राजकुमार राजपूत आत्मज श्री राम राजपूत को विक्रय कर दिया गया। उक्त संपत्ति के क्रेता श्री राजकुमार राजपूत आत्मज श्री राम राजपूत द्वारा आवेदन पत्र शपथ-पत्र (स्वयं का) एवं मण्डल प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करते हुए विक्रय विलेख दिनांक 12/05/2008 के आधार पर उक्त संपत्ति अपने नाम हस्तान्तरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है, साथ यह भी शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि भवन के आवंटी श्री बालकृष्ण इन्दानी आत्मज श्री जगननाथ इन्दानी एवं उनके परिवार का वर्तमान में कही पता नही चल रहा है। भविष्य में किसी भी वाद-विवाद हेतु वह स्वयं जिम्मेदार होगें प्रस्तुत दस्तावेजो एवं विकय विलेख दिनांक 12/05/2008 के आधार पर उक्त संपत्ति श्री राजकुमार राजपूत आत्मज श्री राम राजपूत के नाम पर हस्तान्तरण हेतु प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। उक्त संपत्ति के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी/ या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा ।

3231 **सम्पदा अधिकारी**
म.प्र. गृह नि. एवं अघो. वि. म. प्रक्षेत्र-2 भोपाल

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल

आम सूचना

हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, करोंद, बैरसिया रोड,भोपाल में स्थित शेड क्रमांक-1038/ए मण्डल द्वारा श्रीमती बसंती बाई जैन पत्नी स्व. श्री छोटेलाल जैन के नाम से आवंटित है। उक्त सम्पत्ति का आवंटन आदेश दिनांक 11/05/1984 को किया गया है। श्रीमती बसंती बाई जैन का स्वर्गवास दिनांक 25/11/2022 को एवं उनके पति श्री छोटेलाल जैन का स्वर्गवास काफी पूर्व हो गया है। आवेदक आवंटी के एक पुत्र श्री राजकुमार जैन आत्मज स्व. श्री छोटेलाल जैन द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, अन्य वारिसो का अनापत्ति शपथ पत्र एवं मण्डल का निर्धारित आवेदन पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति अपने नाम से नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, उक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त सम्पत्ति के नामांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/संस्था/वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

3230 **सम्पदा अधिकारी**
म.प्र. गृह नि. एवं अघो. वि. म. प्रक्षेत्र-1 भोपाल

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल

आम सूचना

हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, करोंद, बैरसिया रोड, भोपाल में स्थित शेड क्रमांक- 956/ ए मण्डल द्वारा श्रीमती ताहिरा खातून पत्नी श्री शम्शुद्दीन के नाम से हस्तांतरित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय से दिनांक 10/05/2010 को एवं लीज नवीनीकरण दिनांक 3/1/2023 को पंजीकृत है । श्रीमती ताहिरा खातून पत्नी श्री शम्शुद्दीन द्वारा उक्त सम्पत्ति का मुख्तार आम श्री संदल मियाँ आत्मज श्री सिकंदर खान को नियुक्त कर दिनांक 2/11/2022 को पंजीकृत किया गया। उक्त मुख्ताग्रहिता द्वारा उक्त सम्पत्ति (1) श्रीमती खान शबाना फिरोज पत्नी स्व. श्री फिरोज खान (2) श्री खान खालिद फिरोज आत्मज स्व. श्री फिरोज खान को विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय कर दिया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 5/10/2023 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। क्रेता / विक्रेता के मुख्तारग्रहिता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र, विक्रय विलेख की छायाप्रति प्रस्तुत करते हुये उक्त सम्पत्ति (1) श्रीमती खान शबाना फिरोज पत्नी स्व. श्री फिरोज खान (2) श्री खान खालिद फिरोज आत्मज स्व. श्री फिरोज खान के पक्ष में हस्तांतरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजो के आधार पर उक्त सम्पत्ति के हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति / उत्तराधिकारी / संस्था / वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा ।

3229 **सम्पदा अधिकारी**
म.प्र. गृह नि. एवं अघो. वि. म. प्रक्षेत्र-1 भोपाल